

यह कि खेती-किसानी का समय आ गया है, साथ ही क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसे ध्यान में रखकर ट्रांसफॉर्मर को तत्काल बदलने का कार्य करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी चाहे, उन्हीने ट्रांसफॉर्मर को समस्या व आंधी-पानी में खराब लाइन को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया.

समस्या के समाधान का दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है. ओवरवॉज व पुलों के ऊपर सड़क को समतल करने के लिए विशेष मरम्मत कार्य कराया जा

समय पर मरम्मत होने से दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन पहले की अपेक्षा बेहतर हो जायेगा.

पंजाब नैशनल बैंक  **punjab national bank**

...धरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)
 ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301
 ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित विनीय आरिसयों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आरिसयों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
 एनएनएन सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता (ओ), जमानतदार (रॉ) एवं बंधककर्ता (ओ) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार को प्रधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता (ओ), जमानतदार (रॉ) एवं बंधककर्ता (ओ) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। अर्थात् मूल्य और बचाना राशि संबंधित संघर्षों के खतमे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्ति यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मौजूद सूचना की तिथि ख) मौजूद सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि। घ) कच्चे का प्रकार सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमपी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी-शाखा: गोरसारा (278400) मेसर्स ठाकुर जी मिनी राइस मिल, प्रो.-श्री प्रिंस कुमार सिंह पिता-उपेन्द्र बहादुर सिंह साला नं. 2784008700002228 श्री प्रिंस कुमार सिंह पिता-उपेन्द्र बहादुर सिंह (उपभोक्ता) श्री प्रिंस कुमार सिंह पिता-उपेन्द्र बहादुर सिंह (बंधककर्ता) आवासीय पता: ग्राम-घटेवान, पो.-औरैया, थाना-कुड़ा, जिला-कैमूर, बिहार-821108	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो 1. मौजा-घटेवान, रेव. थाना-कुड़ा, थाना नं.-561, इलका नं.-04, खाला नं.-23, प्लॉट नं.-1225, जिला-कैमूर, रकबा-47.00 डिग्रीमिल, मालिक/बंधककर्ता: श्री प्रिंस कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह। चौहद्दी: उत्तर-भारत सिंह, दक्षिण-रमलोचन सिंह, पूर्व-श्याम सुन्दर सिंह, पश्चिम- राम नारायण सिंह।	क) 26.02.2016 ख) रु. 32,34,151/- आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 06.12.2022 घ) अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 1 भौतिक कच्चा एवं अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 2 एवं 3 सांकेतिक कच्चा दि. 23.05.2017 को) ङ) रु. 1,29,11,086/- + आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्क।	क) रु. 20,43,060/- ख) रु. 2,04,306/- ग) रु. 25,000/-	29.06.2026 दोपहर 12:00 तक	ज्ञात नहीं
2.	मौजा-जहानाबाद, रेव. थाना-कुड़ा, थाना नं.-657, इलका नं.-01, खाला नं.-801, प्लॉट नं.-740, जिला-कैमूर, रकबा-4.75 डिग्रीमिल, मालिक/बंधककर्ता: श्री प्रिंस कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह। चौहद्दी: उत्तर-वेद, दक्षिण-रुनेन्द्र प्रसाद, पूर्व-मोहन मल्लाह, पश्चिम-रमेश्वर।	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो 1. मौजा-जहानाबाद, रेव. थाना-कुड़ा, थाना नं.-657, इलका नं.-01, खाला नं.-801, प्लॉट नं.-740, जिला-कैमूर, रकबा-4.75 डिग्रीमिल, मालिक/बंधककर्ता: श्री प्रिंस कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह। चौहद्दी: उत्तर-वेद, दक्षिण-रुनेन्द्र प्रसाद, पूर्व-मोहन मल्लाह, पश्चिम-रमेश्वर।	क) 26.02.2016 ख) रु. 32,34,151/- आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 06.12.2022 घ) अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 1 भौतिक कच्चा एवं अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 2 एवं 3 सांकेतिक कच्चा दि. 23.05.2017 को) ङ) रु. 1,29,11,086/- + आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्क।	क) रु. 20,43,060/- ख) रु. 2,04,306/- ग) रु. 25,000/-	29.06.2026 दोपहर 12:00 तक	ज्ञात नहीं
3.	मौजा-चकिमा, रेव. थाना-कुड़ा, थाना नं.-657, इलका नं.-07, खाला नं.-36, प्लॉट नं.-09, जिला-कैमूर, रकबा-09 डिग्रीमिल, मालिक/बंधककर्ता: श्री प्रिंस कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह। चौहद्दी: उत्तर-12 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण-प्रभाकर सिंह, पूर्व-निज मनमोहर, पश्चिम-नेपाल सिंह।	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो 1. मौजा-चकिमा, रेव. थाना-कुड़ा, थाना नं.-657, इलका नं.-07, खाला नं.-36, प्लॉट नं.-09, जिला-कैमूर, रकबा-09 डिग्रीमिल, मालिक/बंधककर्ता: श्री प्रिंस कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह। चौहद्दी: उत्तर-12 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण-प्रभाकर सिंह, पूर्व-निज मनमोहर, पश्चिम-नेपाल सिंह।	क) 26.02.2016 ख) रु. 32,34,151/- आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 06.12.2022 घ) अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 1 भौतिक कच्चा एवं अचल सम्पत्ति का क्र.सं. 2 एवं 3 सांकेतिक कच्चा दि. 23.05.2017 को) ङ) रु. 1,29,11,086/- + आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्क।	क) रु. 20,43,060/- ख) रु. 2,04,306/- ग) रु. 25,000/-	29.06.2026 दोपहर 12:00 तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों निम्नलिखित के अधीन होगी।

- संपत्तियों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
- उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्रधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्रधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री अधोहस्ताक्षरों द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 29/06/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सत्र 04:00 बजे तक की जाएगी।
- बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।